# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–माध्य/आदर्श विद्यालय/सीआरसी/61069/2019–20/10 दिनांक 11/01/2021

## कार्यालय आदेश

संकुल संदर्भ केन्द्रों (सीआरसी) के पुनर्गठन बाबत शासकीय स्वीकृति पत्रांक–प. 4(6)शिक्षा–1/2014 /आदर्श विद्यालय पार्ट जयपुर, दिनांक 19.02.2020 एवं इस कार्यालय के पत्रांक–शिविरा–माध्य/आदर्श विद्यालय/सीआरसी/2019–20/02 दिनांक 05.03.2020 एवं 03 दिनांक 29.05.2020 के द्वारा क्रमशः समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (पीईईओ) को संबंधित ग्राम पंचायत के समस्त अधीनस्थ विद्यालयों के अतिरिक्त शेष रहे उसी ग्राम पंचायत के माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों (पूर्व प्राथमिक से कक्षा–12 तक संचालित समस्त विद्यालय) हेतु **"संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ)"** तथा संबंधित पीईईओ विद्यालय/कार्यालय को **"संकुल संदर्भ केन्द्र (सीआरसी)"** तथा शहरी क्षेत्र के आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों तथा उच्चतम कक्षा वाले विद्यालयों को पूर्व प्राथमिक से कक्षा–12 तक संचालित नजदीकी विद्यालयों का **"संकुल संदर्भ केन्द्र (सीआरसी)"** एवं संबंधित संस्था प्रधान को **"संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ)"** घोषित किया गया है।

शासकीय स्वीकृति पत्रांक–4(6)शिक्षा–1/2014 आदर्श विद्यालय पार्ट जयपुर, दिनांक 03.12.20 के क्रम में पूर्वोक्त समसंख्यक पत्र दिनांक 29.05.2020 द्वारा शहरी क्षेत्र में नामित सीआरसीएफ को शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के प्रभावी प्रबोधन एवं अनुवर्तन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) की भांति ही **"शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (Urban Cluster Elementary Education Officer)"** भी एतद् द्वारा नामित किया जाता है। UCEEO का कार्यालय/मुख्यालय संबंधित विद्यालय होगा।

नामित UCEEO द्वारा निर्धारित/संबंधित शहरी सीआरसी परिक्षेत्र के **प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों (राप्रावि/राउप्रावि) में कार्यरत शिक्षकों/संस्था प्रधानों** के संस्थापन संबंधित कार्य यथा–आकस्मिक अवकाश, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की व्यवस्था इत्यादि तथा उनके आहरण–वितरण अधिकार व सेवा अभिलेख पंजिका के संधारण एवं अन्य संबंधित संस्थापन कार्य का संपादन ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत **"पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षाधिकारी (पीईईओ)"** की भांति ही सम्पादित किया जाएगा।

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा, नियमानुसार सेवाभिलेखों में प्रविष्टियां पूर्ण कर संबंधित **"शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी"** (UCEEO) को **माह मार्च, 2021 के प्रथम सप्ताह** तक आवश्यक रूप से हस्तान्तरित करना/करवाया जाना सुनिश्चित करें। **माह मार्च, 2021** से आहरण वितरण/वेतन व्यवस्था, अवकाश स्वीकृति, सेवाभिलेख पंजिका के संधारण एवं अन्य संबंधित संस्थापन कार्य का सम्पादन नियमानुसार नवीन कार्यालय/UCEEO द्वारा किया जाना सुनिश्चित करावें। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त संबंधित पंजिकाएं भी निर्देशानुसार/नियमानुसार संबंधित कार्यालयों को हस्तान्तरित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

कार्यालय का पताः– कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
दूरभाषः– 0151–2522238 ई–मेलः– dserajadarsh.edu@rajasthan.gov.in

www.rajteachers.com

संलग्नः— पूर्वोक्त समसंख्यक पत्र दिनांक 29.05.2020 ("शहरी क्षेत्र में नामित संकुल संदर्भ केन्द्र एवं उनके अधीनस्थ विद्यालयों की जिलेवार सूची")
उक्त जिलेवार सूची विभागीय वेबसाईट www.education.rajasthan.gov.in/secondary (लिंकः— https://cutt.ly/MjdcHvz) पर भी उपलब्ध है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक—शिविरा—माध्य/आदर्श विद्यालय/सीआरसी/61069/2019—20/10
दिनांक 11/01/2021

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
5. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, बजट अनुभाग, प्रारंभिक शिक्षा, राज.,बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार समुचित आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करने के उपरांत विविध लेखा मदों मय पदों तथा आवश्यक बजट प्रावधान को कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को हस्तान्तरित करें।
6. वित्तीय सलाहकार, बजट अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा, राज.,बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार समुचित कार्यवाही सम्पादित कर निर्धारित समयावधि में बजट आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
7. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप—1/2/5)/प्रारंभिक शिक्षा (संस्थापन)/प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना), राजस्थान, जयपुर।
8. अति.राज्य परियोजना निदेशक—प्रथम/द्वितीय, रा.स्कूलशिप,जयपुर।
9. समस्त उपायुक्त, रा.स्कूलशिप,जयपुर।
10. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा एवं समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समयावधि में आवश्यक रूप से सुनिश्चित करावें।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)—माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
12. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
13. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा।
14. समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षाधिकारी (पीईईओ)/सीआरसीएफ तथा संस्था प्रधान।
15. समस्त शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ)/शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (UCEEO) तथा संस्था प्रधान।
16. उपनिदेशक, शाला दर्पण, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर एवं सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
17. प्रभारी अधिकारी, आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रकोष्ठ, रास्कूलशिप., जयपुर।
18. सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
19. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राज0, बीकानेर।
20. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com